न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– बाबुलाल जाट (R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या 17 / 2019 **(RCMS No. 2019/00028)**

वादीगण

1. अमरदत्त पुत्र बिरदाराम
2. देवाराम पुत्र बिरदाराम
3. गणेशी देवी पत्नि बिरदाराम जाति समस्त बलाई निवासी कुचामनसिटी जिला नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण

1. ओमप्रकाश पुत्र बंशीलाल
2. कमली देवी पुत्री बंशीलाल
3. छाजुलाल पुत्र बंशीलाल
4. जगदीश प्रसाद पुत्र जयनारायण
5. दामोदर प्रसाद पुत्र देवीलाल
6. प्रेमचन्द पुत्र बंशीलाल
7. भवानी शंकर पुत्र जयनारायण
8. रतनलाल पुत्र जयनारायण
9. रमेशचन्द पुत्र देवीलाल
10. राजकुमार पुत्र देवीलाल
11. रामअवतार पुत्र बंशीलाल
12. रामचन्द्र पुत्र देवीलाल जाति समस्त ब्राहम्ण निवासी आनन्दपुरा तहसील कुचामनसिटी
13. राजस्थान सरकार तहसीलदार (भूमिधारी) कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान

दावा–भू–विभाजन व इस्तकरार हक 53,88,188 R.T.Act 1955

उपस्थित – श्री श्यामसुन्दर चौधरी अधिवक्ता वादीगण की ओर से।

निर्णय

दिनॉक :– 05.09.2019

वादीगण की आरे से प्रस्तुत वाद का सार संक्षेप में इस प्रकार से है ग्राम राणासर पटवार मण्डल आनन्दपुरा तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 168 रकबा 3.92 हैक्टर, खसरा नम्बर 169 रकबा 3.95 हैक्टर, खसरा नम्बर 665 रकबा 2.07 हैक्टर, खसरा नम्बर 719 रकबा 3.74 हैक्टर, खसरा नम्बर 83[illegible] रकबा 0.05 हैटर कुल रकबा 13.73 हैक्टर भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 [illegible] 14 [illegible] कब्जासुदा खातेदारी शुदा स्वामित्व की स्थित है उपरोक्त खसरा [illegible] की 69 / 1373, 69 / 1373, 69 / 1373 हिस्से की भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज है और इसी अनुसार [illegible] के कब्जे काश्त में चली आ रही है, वर्तमान खसरा नम्बर 665 रकबा 2.07 हैक्टर [illegible] वादीगण का कब्जा काश्त है , खसरा नम्बर 168, 169, 719, 832 / 667 की भूमि का अभी तक

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 12:17:56 IST
Reason: SelfAttested

....2....

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

विधिवत बंटवारा नही किया हुआ है लेकिन मौके पर उपरोक्त खसरा नम्बर 665 रकबा 2.07 हैक्टर भूमि वादीगण के कब्जे काश्त एवं स्वामित्व में है तथा शेष खसरा नम्बर 168, 169 719, 832/667 की भूमि पर प्रतिवादीगण 1 ता 14 के कब्जे काश्त एवं स्वामित्व में है, उपरोक्त भूमि का विधिवत बंटवारा नही होने से वादीगण का नाम खातेदारी में अलग नही हो सका तथा किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने, ऋण लेने, भूमि का रूपान्तरकरण करवाने व अन्य सुविधा प्राप्त करने में भारी असुविधाओ का सामना करना पड़ रहा है बंटवारा कराने के लिए प्रतिवादीगण को कहा तो इतने दिन आश्वासन देते रहे तथा कुछ रोज पूर्व स्पष्ट मना कर दिया, इसलिए बंटवारा का वाद एवं पृथक भूमि कराने हेतु वाद लाना आवश्यक हुआ, खसरा नम्बर 168, 169, 665, 719, 832/667 का अन्य सहखातेदार की सहमति से मौके पर विधिवत बंटवारा करके खसरा नम्बर 665 रकबा 2.07 हैक्टर भूमि अलग करके कब्जा काश्त वादीगण अकेलो द्वारा करने पर अन्य सहखातेदारान द्वारा राजस्व रेकर्ड में खातेदारी अलग से वादीगण के नाम दर्ज नही करवाने पर बमुकाम राणासर में उत्पन्न हुआ है, वादीगण की इस्तदुआ है कि वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्व डिक्री इस अगर की सादिर फरमाई जावे कि उपरोक्त खसरा नम्बर 665 रकबा 2.07 हैक्टर का बंटवारा कर वादीगण की खातेदारी व बंटवारा करवाकर वादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त स्वामित्व की अलग खातेदारी घोषित कर प्रतिवादी संख्या 15 को आदेश जारी करे कि वादीगण की भूमि खसरा नम्बर 665 रकबा 2.07 हैक्टर भूमि वादीगण के नाम से अलग खातेदारी दर्ज की जावे।

वाद वादीगण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 12 एवं 13 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे जिससे उनके विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। दौराने सुनवाई वादी अधिवक्ता प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर रामप्यारी एवं शिवप्रसाद की मृत्यु दावा दायरी पूर्व होने की जानकारी का कथन किया जिससे प्रतिवादी रामप्यारी एवं शिवप्रसाद का नाम वाद पत्र से हटाया गया तथा वादी वकील संशोधित शीर्षक प्रस्तुत किया गया।

वकील वादी द्वारा जमाबन्दी नकल सम्वत 2074–77, एवं नक्शा ट्रेस की नकल प्रस्तुत की, मौखिक साक्ष्य में वादीगण ने स्वयं के शपथ–पत्र प्रस्तुत किया।

वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई जिन्होने ने कथन किया है कि उपरोक्त भूमि ग्राम राणासर के खसरा नम्बर 665 रकबा 2.07 हैक्टर की खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज की जावे तथा शेष खसरा नम्बर 168, 169, 719, 832/667 मे से वादीगण का नाम हटाया जावे। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात मौखिक साक्ष्य के प्रस्तुत शपथ–पत्र इत्यादि का अवलोकन किया गया, प्रकरण [illegible]ण का उपरोक्त खसरा नम्बर 168, 169, 665, 719, 832/667 [illegible] सह खातेदारान के साथ अमरदत्त पुत्र बिरदाराम [illegible] बलाई सा. कुचामनसिटी खातेदार, गणेशीदेवी पत्नि बिरदाराम हिस्सा 69/1373 [illegible]ति बलाई सा. कुचामनसिटी खातेदार, देवाराम पुत्र बिरदाराम हिस्सा 69/1373 जाति बलाई सा. कुचामनसिटी खातेदार संयुक्त रूप से दर्ज है, तीनो का कुल हिस्से में 2.07 हैक्टर भूमि बनती है, तथा उपरोक्त भूमि में

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 12:17:56 IST
Reason: SelfAttested

....3.....

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

सहखातेदार की सुनवाई हेतु सम्मन जारी करने के पश्चात भी उपस्थित नही हुए जिससे स्पष्ट है कि उपरोक्त खसरा नम्बर 665 रकबा 2.07 हैक्टर पर वादीगण का कब्जा काश्त चला आया है तथा वादीगण द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र इत्यादि से भी इस बाबत पुष्टि होती है। अतः वाद वादीगण काबिल डिक्री योग्य होने से निम्न प्रकार से वाद वादीगण डिक्री किया जाता है।

आदेश

ग्राम राणासर तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर के खसरा नम्बर 168 रकबा 3.92 हैक्टर, खसरा नम्बर 169 रकबा 3.95 हैक्टर, खसरा नम्बर 665 रकबा 2.07 हक्टर, खसरा नम्बर 719 रकबा 3.74 हैक्टर, खसरा नम्बर 832/667 रकबा 0.05 हैक्टर कुल रकबा 13.73 में से खसरा नम्बर 665 रकबा 2.07 हैक्टर मे वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है, शेष खसरा नम्बर 168, 169, 719, 832/667 में से वादीगण का नाम हटाया जाता है। उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को आदेश दिये जाते है, डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।

निर्णय आज दिनॉक 05.09.2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(बाबुलाल जाट R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 12:17:56 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इन्तेहाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालतः उपखण्ड अधिकारी मुकाम : कुचामन सिटी

बइजलास : बाबुलाल जाट (R.A.S.)

राजस्व वाद सं. : 17/2019 **(RCMS No. 2019/00028)**

वादीगण

1. अमरदत्त पुत्र बिरदाराम
2. देवाराम पुत्र बिरदाराम
3. गणेशी देवी पत्नि बिरदाराम जाति समस्त बलाई निवासी कुचामनसिटी जिला नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण

1. ओमप्रकाश पुत्र बंशीलाल
2. कमली देवी पुत्री बंशीलाल
3. छाजुलाल पुत्र बंशीलाल
4. जगदीश प्रसाद पुत्र जयनारायण
5. दामोदर प्रसाद पुत्र देवीलाल
6. प्रेमचन्द पुत्र बंशीलाल
7. भवानी शंकर पुत्र जयनारायण
8. रतनलाल पुत्र जयनारायण
9. रमेशचन्द पुत्र देवीलाल
10. राजकुमार पुत्र देवीलाल
11. रामअवतार पुत्र बंशीलाल
12. रामचन्द्र पुत्र देवीलाल जाति समस्त ब्राहम्ण निवासी आनन्दपुरा तहसील कुचामनसिटी
13. राजस्थान सरकार तहसीलदार (भूमिधारी) कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान

दावा–भू–विभाजन व इस्तकरार हक 53,88 188 R.T.Act 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू वकील श्री श्यामसुन्दर चौधरी अधिवक्ता वादीगण की ओर से हाजिरी .... मिनजानिब मुदई रू–बरू ....मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि **ग्राम राणासर तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर के खसरा नम्बर 168 रकबा 3.92 हैक्टर, खसरा नम्बर 169 रकबा 3.95 हैक्टर, खसरा नम्बर 665 रकबा 2.07 हक्टर, खसरा नम्बर 719 रकबा 3.74 हैक्टर, खसरा नम्बर 832/667 रकबा 0.05 हैक्टर कुल रकबा 13.73 में से खसरा नम्बर 665 रकबा 2.07 हैक्टर मे वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है, शेष खसरा नम्बर 168, 169, 719, 832/667 में से वादीगण का नाम हटाया जाता है। उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को आदेश दिये जाते है, डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।**

निज .... मुबलिग .... बाबत...................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 05 माह 09 सन् 2019 को जारी की गई।

(मुहर) उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

दस्तखत.....................

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

ओहदा.......................

मुदई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालात नामा					
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकिल		
महन्ताना वकिल			खर्चा		
खर्चा गवाहन			फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 12:17:56 IST
Reason: SelfAttested

नोटः इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।